

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4315 /

जबलपुर, दिनांक २४/०६/२०२३

दो-१४-२८/२१

श्रीमती प्रियंका पिठवे मिश्रा, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/६३४ दिनांक २८.०१.२०२३ के स्वीकृत संतान पालन अवकाश दिनांक ०६.०२.२०२३ से ०४.०८.२०२३ तक १८० दिन में से कर्त्तव्य पर दिनांक ०६.०६.२०२३ को उपस्थिति हो जाने से दिनांक ०६.०६.२०२३ से ०४.०८.२०२३ तक ६० दिन का संतान पालन अवकाश निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -  
(रामकुमार चौबे)  
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/4316 /

जबलपुर, दिनांक २४/०६/२०२३

दो-१४-२८/२१

प्रतिलिपि :-

१. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
२. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
३. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
४. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
५. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
६. श्रीमती प्रियंका पिठवे मिश्रा, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(यू.एस. दुबे) २४/०६/२०२३  
ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.